न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(95)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3363 विरूद्ध आदेश दिनांक 15-6-2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 238/अपील/2013-14.

---

1. सुरेश आत्मज हीरालाल
2. कमलेश आत्मज हीरालाल
   निवासीगण चौराहेट
   तहसील बावई जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

नन्दकिशोर आत्मज रामचरण
निवासी चौराहेट
तहसील बावई जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री आर.एस. चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मोहन सिंह चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/1/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-6-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, बावई के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चौराहेट स्थित खसरा नम्बर 292/16 एवं खसरा नम्बर 810/15 रकबा 4.00 एकड़ राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है, जो हल्का पटवारी द्वारा त्रुटिवश गलत प्रविष्ट की गई है । आवेदकगण का वास्तविक खसरा नम्बर 292/3 रकबा 4.00 एकड़ है, जो कि राजस्व

अभिलेख में रामचरण वल्द टीकाराम के नाम त्रुटिवश दर्ज हो गया है । अत: खसरा नम्बर 292/16 एवं खसरा नम्बर 810/15 के स्थान पर खसरा नम्बर 292/3 रकबा 4.00 एकड़ पर आवेदकगण का नाम दर्ज कर, राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ-6-/2007-08 दर्ज कर दिनांक 14-10-08 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 292/3 रकबा 4.00 एकड़ पर आवेदकगण का नाम दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 13-10-11 को प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-5-2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत तथा अनावेदक को सुनवाई का बिना अवसर दिये बिना पारित होने के आधार पर अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 15-6-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) रामचरण की मृत्यु उपरांत दोनों भाईयों हीरालाल एवं नन्दकिशोर के नाम पृथक-पृथक भूमि भू-अभिलेखों में दर्ज है और नन्दकिशोर के हिस्से में आई भूमि खसरा क्रमांक 381/18 राजस्व दस्तावेजों में उनके नाम दर्ज थी, जिसे उसके द्वारा विक्रय कर दी गई है ।

(2) आवेदकगण के पिता स्व. हीरालाल के नाम पृथक भूमि खसरा क्रमांक 293/2 जो कि भू-अभिलेख में गलत इंद्राज है, सही खसरा क्रमांक 292/3 है ।

(3) एक ही भूमि के दो अलग-अलग खसरा क्रमांक 293/2 एवं 292/3 भू-अभिलेखों में त्रुटिवश गलत इंद्राज हो गये हैं, जबकि मौजूदा भूमि केवल 4.00 एकड़ ही है, जो वर्ष 2000 से आवेदकगण के पिता के नाम दर्ज है । आवेदकगण द्वारा गलत इंद्राज को सही करने के लिए तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा खसरा क्रमाक 292/3 रकबा 4.00 एकड़ भूम पर विधिवत संहिता की धारा 115, 116 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(4) अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्व. हीरालाल के नामांतरण को चुनौती दी गई थी और अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा तथ्यों को समझे बगैर विधि

विरूद्ध आदेश पारित किये गये हैं, जबकि उक्त प्रकरण में नामांतरण की कार्यवाही नहीं की गई थी, अस्तु राजस्व रिकार्ड में गलत खसरा इंद्राज को दुरूस्त करने हेतु आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था ।

(5) भू-अभिलेखों में खसरा गलत इंद्राज होने का लाभ उठाकर अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त खसरों पर ध्यान न देकर विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(6) आवेदकगण जब अपनी भूमि पर के.सी.सी. बनवाने बैंक गये, उस समय राजस्व रिकार्ड निकलवाया, तब पटवारी राजस्व रिकार्ड में खसरा क्रमांक 292/3 रामचरण पिता टीकाराम, खसरा क्रमांक 293/2 अपने पिता हीरालाल पुत्र रामचरण के नाम दर्ज थी, जबकि वास्तव में एक ही भूमि के अलग-अलग दो खसरे इंद्राज थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन पर बिना ध्यान दिये विधि की गंभीर भूल की है ।

(7) निम्न न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में हीरालाल व रामचरण जीवित होने का उल्लेख किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि रामचरण और हीरालाल फौत हो चुके हैं और वादग्रस्त भूमि में हीरालाल के वारिसान विधि अनुसार निहीत पक्षकार हैं ।

अत: तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जायें ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि मृतक रामचरण के नाम दर्ज थी, अत: भूमिस्वामी की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान के नाम नामांतरण की कार्यवाही करना चाहिए थी, किन्तु आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत इस्तहार का प्रकाश किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदकगण द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर अवैधानिक रूप से अपने पक्ष में आदेश पारित करा लिया गया है, जो कि विधि विपरीत कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त द्वारा भी की गई है । अत: दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी स्व. रामचरण थे, अतः तहसील न्यायालय को उसकी मृत्यु उपरांत विधि अनुसार नामांतरण की कार्यवाही करना चाहिए थी, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदकगण का नाम दर्ज किया गया है, जो कि विधि विपरीत कार्यवाही है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी रामचरण के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । आयुक्त द्वारा भी विस्तार से विवेचना करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि की गई है । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-6-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर